

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर (म0प्र0)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा बडौदा रोड़, अलीराजपुर-457887

Tel & Fax No. 07394-234530

E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/2509
प्रति,

दिनांक : 09.09.22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :- अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी. योजना के अन्तर्गत भाभरा-उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत।

- संदर्भ:-
- 1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक/6-MPB 021/2022-BHO दिनांक 26.07.2022।
 - 2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1141/2022/10-11/2666 दिनांक 29.07.2022।
 - 3) उपवनमण्डलाधिकारी भाभरा का पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/1191 दि. 31.08.22।

— ★ —

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उपवनमण्डलाधिकारी भाभरा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड जिला धार द्वारा भाभरा-उदयगढ़ मार्ग योजना अन्तर्गत वनभूमि में 500 मीटर लंबाई निर्माण कार्य किया जा चुका है। जिस संबंध आवेदक विभाग के मैनेजर श्री दिनेश पाटीदार एवं उनकी निर्माण एजेन्सी श्री जी इन्फ्रा के अधिकारी श्री एस. एस. पाण्डे द्वारा वनमण्डल कार्यालय में उपस्थित होकर यह बताया गया कि उक्त मार्ग निर्माण कार्य राजस्व विभाग की भूमि पर किया गया है, जिसकी अनुमति राजस्व विभाग से ली गई है। मौके पर उक्त मार्ग निर्माण में वन/राजस्व सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिसके निराकरण हेतु राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त जाँच हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया है।

अतः राजस्व विभाग/वन विभाग के संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण के पश्चात यदि आवेदक विभाग द्वारा वनभूमि पर अवैध मार्ग निर्माण कार्य किया गया है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किया जावेगा।

पृ0 क्रमांक/मा.चि./2022/2510
प्रतिलिपि :

1. मुख्य वन संरक्षक इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर
दिनांक : 09.09.22


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर

पत्र क्रं. मा.चि./2022/1191
प्रति,

च.शे.आ. नगर दिनांक 31/8/2022

वन मण्डल अधिकारी,

वन मण्डल अलीराजपुर।

विषय:- अलीराजपुर जिल में ए.डी.बी. योजना के अन्तर्गत भाभरा - उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/ चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वन भूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- वन मण्डल कार्यालय अलीराजपुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/2413 दिनांक 29.08.2022।

-----:★:-----

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र में निवेदन है कि अलीराजपुर जिल में ए.डी.बी. योजना के अन्तर्गत भाभरा - उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/ चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु की जानकारी इस कार्यालय से चाही गई है। मौका स्थल का राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करने पर पटवारी द्वारा हल्का नम्बर 12 का मानचित्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें पटवारी द्वारा रोड़ व अन्य आस - पास के क्षेत्र को हल्का नम्बर 12 के अनुसार सर्वे नम्बर 52, 126, 128, 132, 133, 134, 136, 141, 144, 145, 154, 155, राजस्व भूमि में बताया गया है एवं बीट सियाली के मानचित्र अनुसार कक्ष क्रमांक - P 84 में संबंधित क्षेत्र होना बताया गया है, जिसमें लगभग 500 मीटर मार्ग पर निर्माण कार्य किया गया है। उक्त क्षेत्र का निरीक्षण वन मण्डल अधिकारी महोदय, अलीराजपुर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता च.शे.आ. नगर द्वारा दिनांक 23.08.2022 को किया गया, उनके द्वारा संबंधित क्षेत्र की जाँच के उपरान्त ही कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मौका स्थल पर निर्माण कार्य किस क्षेत्र में हुआ है कि पुष्टि करने हेतु वर्तमान में जाँच प्रचलित है। M.P.R.D.C. द्वारा यह रोड़ वन क्षेत्र में बिना अनुमति के कार्य करने का उल्लंघन वास्तव में किया गया है कि नहीं का निर्धारण जाँच उपरान्त ही किया जा सकता है। जब तक जाँच पूर्ण न हो तब तक संबंधित फर्म को रोड़ निर्माण की अनुमति प्रदान ना की जावे।

अतः पालन प्रतिवेदन आपकी और आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- संयुक्त पंचनामा, पटवारी मानचित्र, बीट का मानचित्र,

मौका पंचनामा की छायाप्रति।

मा.चि.
83/8/22

(मंगलसिंह चौहान)

(रा.व.से.)

अपर

वनमण्डलाधिकारी एवं
पदेन उप वन मण्डल अधिकारी
चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाभरा)